भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.2010/टेली/11 (2)/1 — नई दिल्ली, 23-8-2012

दूरसंचार परिपत्र सं.02/2012

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

विषय: रनिंग स्टाफ (लोको पायलट एवं गार्ड) के सीयूजी उपयोग प्रभारों के संबंध में।

संदर्भ: (i) बोर्ड का दिनांक 07.06.2006 का पत्र सं.2004/टेली/टीएन/3
(ii) बोर्ड का दिनांक 11.11.2011 का पत्र सं.2010/टेली/11(2)/1

संदर्भाधीन पत्र (i) के तहत जारी की गई सीयूजी नीति में "गाड़ी परिचालन के लिए जिम्मेवार लोको पायलटों/मोटरमैनों और गार्डों" का सीयूजी सिम के लिए पात्र कोटि के रूप में उल्लेख किया गया है। इस नीति में यह भी उल्लेख है कि पर्यवेक्षी स्टाफ को मासिक सीयूजी उपयोग प्रभारों के रूप में 300/- रुपए की अनुमति दी जाती है।

संदर्भाधीन पत्र (ii) के तहत बोर्ड ने निदेश जारी किए हैं कि नीति के अनुसार मासिक सीयूजी प्रभारों में नई सीयूजी संविदा, जो 01.10.2011 से लागू हुई है, में लागू किराया शामिल हैं।

2. इस संबंध में कुछ रेलों ने बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या "गाड़ी परिचालन के लिए जिम्मेवार लोको पायलटों/मोटरमैनों और गार्डों" को अनुमत मासिक सीयूजी उपयोग प्रभार निर्धारित करने के प्रयोजन से पर्यवेक्षी स्टाफ के रूप में माना जाए। इस पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि वे भी पर्यवेक्षी कर्मचारियों के समान 300/- रुपए की सीयूजी लिमिट के पात्र हैं।

बहरहाल, व्यय तटस्थता (Expenditure Neutrality) को मौजूदा अनुदेशों के अनुसार प्रमाणित किया जाए।

कृपया पावती दें।

(राकेश रंजन)
निदेशक/दूरसंचार

सं.2010/टेली/11 (2)/1 — नई दिल्ली, 23-8-2012

प्रतिलिपि:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

प्रतिलिपि:

1. एफ (एक्स) II एवं बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड
2. सीएसटीई, सभी भारतीय रेलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
3. प्रबंध निदेशक/रेलटेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
4. रेलटेल को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सूचनार्थ।

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board
अनुलग्नक सहित जारी
Issue with Enclosure
हस्ताक्षर
Signature............
जारी की तिथि
Date of Issue............